तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
23/9/21	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी मुख्यालय से बाहर है पुनः सुनवाई दिनांक 15/11/21 को पेश हो।	नायब कोर्ट
15/11/21	पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 ग्रा.पं. डाहिनागाँव मे पेश हुई। पक्षकारान में सहमति नही हो सकी। अतः पत्रावली दिनांक 29/11/21 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी रूपवास	हुक्मराम रतनसिंह
29/11/21	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी मुख्यालय से बाहर है पुनः सुनवाई दिनांक 17/12/21 को पेश हो।	
17/12/21	पत्रावली आज पेश हुई। अभिभाषक प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 LR Act के तहत इस आशय के साथ पेश किया कि आराजी ख० नं० 1669 रकबा 0.39 हैक्टे० वाके ग्राम डाहिनागाँव तहसील रूपबास की चारो दिशाओ का सीमांकन कराया जाकर पत्थरगढी कराये जाने के आदेश दिये जाने की माँग की है साथ ही यह भी अवगत कराया है कि पत्थरगढी पर आने वाले खर्चे को प्रार्थी वहन करने को तैयार है। तहसीलदार रूपवास से रिपोर्ट ली गई। पटवारी, ILR, एव तहसीलदार (भू० अभि०) रूपवास के रिपोर्ट के अनुसार ख० नं० 1669 रकबा 0.39 हैक्टे० के सभी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	हुक्म की तामील में जारी हुए
	खातेदार सीमांज्ञान कराना चाहते है।	

मेरे द्वारा प्रार्थी के अभिभाषक की बहस सुनी गई तथा पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन किया। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार रूपवास दिनांक 15/11/24 के विवादित आराजी के सभी खातेदार सीमांकन करवाना चाहते है।

अतः आदेश है कि -

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आराजी ख० नं० 1669 रकबा 0.39 हैक्टेयर वाके ग्राम डाहिना गॉव तहसील - रूपवास जिला भरतपुर की चारो दिशाओ का सीमाज्ञान उभयपक्ष की उपस्थिति मे कराया जाकर पत्थरगढी कराये जाने के आदेश तहसीलदार रूपवास को दिये जाते है। सीमांज्ञान एव पत्थरगढी मे जो खर्चा आवे वह प्रार्थी से वसूल किया जावें। प्रकरण नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय लिखवाया जाकर सुनाया गया।

vivo V30 | AURA LIGHT

Tariq Anwar